जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, एम. एल. नम्बर–11/2000R (पुराना 1/81), खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि–2.752 हेक्टेयर + रोड़ 0.10 हेक्टेयर एवं गैर वन भूमि– 2.148 हेक्टेयर) निकट ग्राम करिरिया, तहसील–निवाई, जिला–टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेण्ड़ खनन परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 499902 TPA (मिनरल–449912 TPA. रिजेक्ट/वेस्ट– 49990 TPA) हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित ज़नसुनवाई दिनांक 17 मई 2025 को प्रातः 11:00 बजे स्थान पंचायत समिति सभागार निवाई, तहसील–निवाई, जिला–टोंक का कार्यवाही विवरणः–

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानो की अनुपालना में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16007 दिनांक 07.04.2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम में दिनांक 17 मई, 2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार–निवाई, तहसील–निवाई, जिला–टोंक (राजस्थान) में मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, एम. एल. नम्बर – 11/2000R (पुराना 1/81), खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि–2.752 हेक्टेयर + रोड़ 0.10 हेक्टेयर एवं गैर वन भूमि–2.148 हेक्टेयर) निकट ग्राम करिरिया, तहसील–निवाई, जिला–टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेण्ड माइनिंग परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 499902 TPA (मिनरल–449912 TPA, रिजेक्ट/वेस्ट–49990 TPA) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक (राजस्थान) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी
3. श्री सोहन लाल, सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति–पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 14.04.2025 और स्थानीय समाचार पत्र दैनिक ताज भारती में दिनांक 14.04.2025 को आम सूचना निर्धारित जनसुनवाई से 30 दिन पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./पेन ड्राइव एवं फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक की अनुमति से जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की, कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावें साथ ही सुझाव/शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित सिलिका सेण्ड खनन परियोजना के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स एन्के एन्वायरो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की ओर से श्री सुर्यांश अवस्थी ने प्रस्तावित सिलिका सेण्ड खनन परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पावर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रदान की गई जिसमे खनिज, खनन पट्टा क्षेत्र, संभावित खनिज भंडार, खनन योग्य भंडार, लक्षित उत्पादन, खनन पट्टे की अवधि, खनन अपशिष्ट, ऊपरी मिट्टी, खनन हेतु कुल मानव शक्ति की आवश्यकता, खनन की विधि, जल की आवश्यकता, जल स्त्रोत, इको सेंसिटिव जोन, निकटतम बस्ती, निकटतम शहर, निकटतम राजमार्ग, निकटतम रेल्वे स्टेशन, निकटतम हवाई अड्डा, निकटतम पर्यटन स्थल, निकटतम डिफेन्स इन्सटालेशन, निकटतम पुरात्व महत्व का स्थान, निकटतम संवेदनशील क्षेत्र, निकटतम शैक्षणिक सुविधाए, निकटतम चिकित्सा संबधित सुविधा, निकटतम नदी/जलाशय, आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्र, खननपट्टा क्षेत्र–स्थान मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, खननपट्टा क्षेत्र फोटो, पानी का संतुलन, खनन का विवरण, वर्षवार प्रस्तावित खनन विकास, खनन क्षेत्र के भूमि उपयोग की प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र का भू–उपयोग, आधार (कोर और बफर जोन), निगरानी स्टेशनों को दर्शाने वाला मानचित्र, निगरानी स्टेशन, आधारभूत अध्ययन (कोर और बफर जोन), जैविक पर्यावरण, संकल्पना परियोजना, प्रभाव एवं प्रबंधन, वर्षवार संचयी वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के साधनों पर खर्च का विवरण, क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास की जानकारी दी गई है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूशण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन–समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. <u>श्री स्वराज सिंह, अध्यक्ष करिरिया वन प्रबन्ध समिति ग्राम करीरिया, तहसील–निवाई, जिला–टोंकः</u>– ने बताया कि खनन से होने वाले प्रदूशण से टी.बी. एवं सिलिकोसिस की बीमारी होती हैं तथा जानवरों को नुकसान होता हैं। इस माईन्स के प्रदूशण की वजह से मैने अपने पिता जी को तब खोया हैं, जब में कक्षा 3 में पढ़ता था, वे इसी माईन्स में काम करते थे। वर्श 2021–2022 में करिरिया वन प्रबन्ध समिति द्वारा 150 हेक्टेयर में रूपये 75 लाख की लागत से विभाग की ओर से पौधारोपण किया गया था जो इस माईन्स के चलने से प्रभावित होगा। उससे स्थानीय जानवर व मवे ीयों को नुकसान होगा। खान से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता हैं, उस खान में काम करने से बीमारी होती हैं, जिससे नुकसान होता हैं। उन्होंने इस परियोजना के प्रति आपत्ति जताई।
2. <u>श्री दशरथ सिंह गौड़ ग्राम नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंकः</u>– ने बताया कि हम लोगों ने 15 साल संघर्श किया हैं। खनन कार्य से सिलिकोसिस बीमारी होती हैं, टी.बी. की बीमारी होती हैं, यह एक लाईलाज बीमारी हैं। जिससे हमारे गाँव के लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी हैं व आज भी लोग इस बीमारी से पीढ़ित हैं। गाँव के आसपास के क्षेत्र में वन्य जीव सियार, पेन्थर, सुअर, नीलगाय हैं। माईन्स के निकट मन्दिर हैं। उन्होंने बताया कि खनन पट्टे मे खनन गतिविधि ग्राम नोहटा की तरह होती हैं, तथा गाँव में आबादी रहती हैं। वर्शो से हम संघर्श कर रहे हैं पूर्व से यह माईन्स बन्द हो गयी थी, पुनः इसे चालू कर रहें हैं, तो जीव–जंतु तो मरेगें ही। जब यह माईंस चलती थी तो खनन की वजह से घरों में धुल की परत जम जाती थी। उन्होंने कहा कि यह मेरी आपत्ति हैं। इस खनन पट्टे को सिलिका माईनिंग की स्वीकृति ना दी जाये और अगर देते है तो हम आगे तक जायेंगे, चुप नही बैठेगें।
3. <u>श्री राम महाराज अघोरी, माँ भद्रकाली मंदिर, पीठाधीश, ग्राम–नोहटा, ग्राम पंचायत तहसील–निवाई, जिला–टोंक</u>– ने बताया कि नोहटा में मेरा मंदिर है। ग्राम –नोहटा के आसपास क्षेत्र में 400 साल पुराने 27 मंदिर हैं। उन्होंने बताया कि इस माईन्स की वजह से क्षेत्र के लोग टी.बी. से पीड़ित हैं, इस माईन्स के चलने से धूल के कण 3 KM तक घास नही उगेगी। मैने आयुर्वेद से डॉक्टरी कर रखी हैं, मेने खुद ने इस पर परीक्षण किया हैं, जहाँ पर इसकी धुल पडती हैं वहाँ पर घास भी नहीं उगती हैं। वहाँ पर हमारे आश्रम बने हुए हैं। सम्पूर्ण राजस्थान में यदि कही सबसे अधिक कदम्ब के कदम्ब के वृक्ष हैं, तो वह हमारे गाँव में हैं। जो हमारी आस्था का केन्द हैं, भगवान विश्णु का अवतार मानतें हैं। गाँव में कदम्ब के 1046 पेड़ हैं, अगर माईन्स चली तो हमारी आस्था को ठेस पहुँचेगी। कदम्ब के वृक्ष इस माईन्स के चलने से नष्ट हो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

जायेगें। धूल वाली हवा से मोर व अन्य पक्षी जीवित नही रहेगें। क्षेत्र में लगभग 4000 मोर हैं जो कि खनन गतिविधि के धमाको की वजह से जिन्दा नही बचेंगे। मंदिर इन पक्षीयों के लिए पानी व चुग्गा की व्यवस्था करता हैं। अगर माईन्स चली तो धमाके होगें जिससे मोरो की मृत्यु होगी यह निश्चित हैं।

4. श्री रामराज चौधरी S/o श्री राम करण चौधरी, अध्यक्ष वन प्रबन्ध समिति, ग्राम–नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंक, ने बताया कि इस खान से हमारे गाँव में प्रदूषण होता हैं। अगर माईन्स चली तो जीव जन्तु का नाश होगा, मरेगें। घर परिवार के लोगों की इस माईन्स में काम करते हुए टी.बी. से ग्रसित होकर मृत्यु हो गयी हैं। अतः आपत्ति हैं।

उक्त आपत्तियों के प्रति उत्तर में परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार श्री सुर्यांश अवस्थी, द्वारा अवगत कराया गया कि:–

श्री सुर्यांश अवस्थी, ने उत्तर दिया कि वर्तमान में लीज बन्द है, परियोजना अभी प्रस्तावित हैं। जब माईनिंग लीज चलेगी तो नियंत्रित विस्फोट (Controlled Blasting) के माध्यम से खनन किया जायेगा। **जरूरत पडने पर ही** Blasting की जाएगी, पानी का छिड़काव को नियमित करेगें, धूल को कम करने की कोशिश करेगें, जिन लोगों को Direct Employment देंगे, उनका टी.बी. की बीमारी का पता लगाने हेतु खान में काम करने वाले कार्मिकों का हर 6 माह में स्वास्थ्य परीक्षण कराएगें, तथा पॉलिसी, लेबर लॉ (Labour Low) के अनुसार इन्श्योरेंन्स (Insurance) कराया जाएगा।

श्री स्वराज सिहं चौधरी द्वारा बताया गया कि पूर्व में जब यह लीज शुरू की गयी थी तब भी यही प्रक्रिया हुई थी, यही बातें कही गई थी। ऐसे ही बैठे थे। मैने तो अपने पिताजी को खोया है इस माईन्स की वजह से। फिर आप यही काम करोगें, कोई मेरा चाचा काम करेगा कोई गाँव का काम करेगा, कोई दुसरा करेगा। आप पॉलिसी, की बात करते हैं, तो पेंशन तो पीड़ित को मिलेगी लेकिन मैने तो अपने पिताजी को खो दिया। अगर वह इस माईन्स में काम नही करते तो कही अन्य जगह कोई अन्य काम करते। परिवार के लिए आदमी काम करता हैं, लेकिन कम से कम यहाँ तो काम नही करतें। मैने अपने पिताजी को इस माईन्स की वजह से इस (सिलिकोसिस) बीमारी की वजह से खो दिया। मै तो नही चाहता ऐसी व्यवस्था फिर से चालू हो फिर हमारा कुछ नुकसान हो।

श्री सुर्यांश अवस्थी, ने अवगत कराया कि:– पूर्व में टेक्नोलॉजी नही थी केवल एक विकल्प था, ब्लॉस्टिंग करो मिनरल निकालों। अब टेक्नोलॉजी डवलप हो गयी हैं। खनन के दौरान नई टेक्नोलाजी के अनुसार नियंत्रित विस्फोट (Controlled Blasting) के माध्यम से माईनिंग मेट (Mining Mate) की उपस्थिति में खनन कार्य किया जायेगा व पानी का छिड़काव कराया जाएगा। ड्रीलिंग के दौरान पानी का छिड़काव किया जाएगा। पूर्व में कार्मिको को स्वम सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment) उपलब्ध नही करावे जाते थे, अब वैज्ञानिक विधि (Scientific) माईनिग होती हैं। हम कार्मिको को स्वम सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायेंगे। SEIAA/SEAC, माईनिग से आसपास के वातावरण पर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

क्या प्रभाव पडेगा इसका आंकलन करेगा। जब माईन्स नहीं चल रही है तब क्या प्रभाव हैं। व जब माईनिंग चालू हो जाएगी तब क्या प्रभाव पड़ेगा। Computer Monitoring से पता लगाया जाएगा कि भविष्य में कितना प्रदुषण होगा। अगर इस माईनिग लीज को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलती हैं, जो हमने यहाँ जो वादे कियें हैं, उन्हें हम पुरे भी करेगें। यदि हम ऐसा नही करते तो SEIAA/SEAC द्वारा Panelty लगाई जा सकती हैं या बन्द करी जा सकती हैं ये प्रोविजन हैं। हर छः माह में Compliance Monitoring करायी जाएगी। खान दो भागों में हैं, जिस भाग में स्मारक बना हुआ हैं हम वहाँ खनन नही करेगें, वहाँ वृक्षारोपण करेगें। वर्तमान में जो समिति द्वारा वृक्षारोपण कराया गया हैं उसे सुदृढ़ता ही प्रदान करेगें। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त पुरी करनी होती हैं, नही तो माईन्स बन्द की जाती हैं। कररिया वन समिति द्वारा कराये गये वृक्षारोपण वाले क्षेत्र में खनन नही किया जाएगा एवं वृक्षारोपण को बढ़ाया जाएगा।

श्री सुर्यांश अवस्थी, द्वारा बताया गया कि खान में काम करने वाले कार्मिकों का स्वास्थ्य परिक्षण (Health Checkup) लेबर लॉ का अनुसार कराया जाएगा यदि किसी व्यक्ति में सिलिकाकोसिस बीमारी पायी जाती हैं तो परियोजना प्रस्तावक/ खान मालिक उसके इलाज का पूरा खर्चा वहन करने के लिए तैयार हैं।

श्री दशरथ सिंह गौड़ ग्राम नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंक द्वारा बताया गया कि सिलिकोसिस एक लाईलाज (जिसका इलाज नहीं होता) बीमारी हैं। इसका कोई ईलाज विश्व में ही नही हैं, ये सिलिका मानव के अन्दर जाएगी, एवं मानव को बीमार करेगी, इनके लिए क्या करोगें।

श्री सुर्यांश अवस्थी, ने बताया कि यह जनसुनवाई पूर्व में हुई घटनाओं के लिए नही हैं। उसके मै अधिकृत नही हूँ यह पूर्व कि लिए कुछ भी कहने के लिएं। यह जनसुनवाई वर्तमान के लिए हैं। वर्तमान में अभी तो हमारी माईन्स चालू ही नही हुई हैं।

श्री दशरथ सिंह गौड़ ग्राम नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंक ने कहा कि यदि आपकी माईन्स चालू हो गयी तो आप तो खनन करोगे और वही पुरानी चीजे होगी अतः हम चाहते है कि यह लीज चालू ही न हो । चालू करने के बाद तो लोग मर जाएगे।

श्री सोहन लाल, सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक, द्वारा परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि सिलिकोसिस नही फैले इसके लिए क्या प्रोविजन/उपाय किये हैं बतायें।

श्री सुर्यांश ने बताया कि–सभी कार्मिकों को स्वम सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवायी जाएगी व पहनाकर माईन्स में भेजेगें। लगातार जाँच होगी। यदि सिलिकोसिस बीमारी पायी जाती है, तो उसके लिए Insurance करवाया जाएगा।

श्री सोहन लाल, सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक, द्वारा परियोजना प्रस्तावक से पूछा गया कि सिलिकोसिस बीमारी परोक्ष रूप से खान में काम करने वाले व्यक्ति को भी हो सकती हैं एवं खान से कुछ दुरी पर रहने वाले व्यक्ति को भी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अपरोक्ष रूप से सिलिकोसिस हो सकती हैं। 2–10 माइक्रोन के धुल के कण वायु जनित (Air Born) होतें हैं जो कि Drilling व ब्लास्टिंग आदि खनन की प्रक्रिया से उत्पन्न होतें हैं, जो दूर बैठे व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते है इसकी रोकथान के लिए खनन के दौरान क्या उपाय किये जाएगें

श्री सुर्यांश अवस्थी द्वारा उत्तर दिया गया कि Wet Drilling की जाएगी, Air Born Particulate Matter को कम करने के लिए जल का छिड़काव (Water Spray) करायी जाएगी, सड़क पर ट्रक को ढककर भेजा जाएगा।

श्री दशरथ सिंह गौड़ ग्राम नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंक द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सिलिकोसिस का कोई इलाज नही हैं। एक बार माईन्स चालू हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते यह तो आप खाली बाते कर रहे हों। बात करके सभी चले जायेगें। माईन्स के चलने से वन्यजीव भी प्रभावित होगें। लीज से आबादी मात्र 100 मीटर हैं, इस माईन्स से 50 मीटर पर ही फोरेस्ट की बाऊण्ड्री आ गयी हैं। आप कैसे NOC दे सकतें हैं।

सहायक खनि अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि इनका Forest Diversion का प्रस्ताव लंबित हैं। सहायक खनि अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि इनका Forest Diversion 2010 तक वैध था अब जब दुबारा फोरेस्ट डाईवर्जन होगा तबी माईन्स चालू होगी।

वन विभाग, लीज वाले हिस्से को फोरेस्ट से बाहर करेगा। उसी कण्डीशन में माईन्स चालू होगी। यह जनसुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु हैं। यदि पर्यावरणीय स्वीकृति मिल भी जाती हैं एवं फोरेस्ट डाईवर्जन नही होता हैं, तो भी माईन्स चालू नही होगी।

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र में वन विभाग की जमीन भी है। जब तक उसका फोरेस्ट डायवरजन नहीं हो जाता वे फोरेस्ट से बाहर नही हो जाती तब तक स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं उटता हैं।

अति0 जिला कलक्टर टोंक ने बताया कि फोरेस्ट से बाहर होने की प्रक्रिया हैं। ये माईन्स किसी व्यक्ति विशेष की हैं। हम Public Interest (आम जन के हित हेतु) फोरेस्ट डाईवर्जन के प्रयास करते हैं, जैसे. सड़क का कोई 100 मीटर का टुकडा मान लिजिए फोरेस्ट में आ गया, एक गाँव में सड़क बनानी है लेकिन बीच में 100 मीटर का टुकडा फोरेस्ट में आ गया जब तक उनका फोरेस्ट डाईवर्जन नही होगा। (फोरेस्ट से बाहर नहीं होगी) तब तक वह सड़क नही बन सकती। हमारे बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्टस काफी समय से पडे हुए है। फोरेस्ट डाइवर्जन बहुत rare चीज हैं, आसानी से मिलता नही हैं। फोरेस्ट के अलावा बात करे तो यह पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई हैं। यहाँ पर यह खुला मंच हैं, आपत्तिकर्ता भी स्वतत्रं हैं, । इसके एक प्रोविजन हैं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु इन्होंने (परियोजना प्रस्तावक) ने आवेदन किया हैं एवं E.I.A. Notification 2006 , एवं समय–समय पर संशोधनों के प्रावधानों की अनुपालना में प्रभावित लोगों के बीच जा कर जनसुनवाई करनी होती हैं। जिससे लोगों के विचार जाने जा सके कि उनका क्या मत हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आपत्तिकर्ताओं ने आपत्ति की, इनमें इनसे (परियोजना प्रस्तावक) से कहा कि आप ने बताया कि आपने इन आपत्तियों के सम्बन्ध में क्या उपाय अपनाने की निति हैं। दोनों पक्षों की बात सुनी गयी ये सारी चीजें रिकार्ड हो रही हैं। हम इस जनसुनवाई का कार्यवाही विवरण बनाकर मय फोटो ग्राफ एवं विडियोंग्राफी SEIAA, Rajasthan के को प्रेषित करेगें। SEIAA, Rajasthan निर्णय लेंगे कि क्या करना हैं, NOC देनी हैं, या नहीं देनी हैं। आप अगर कुछ लिखित में भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो लिखित आक्षेप/आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं हम आपके लिखित आक्षेप। आपत्ति को भी कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न करके SEIAA को प्रेषित करेगें निर्णय SEIAA द्वारा ही लिया जाएगा, हम लोग यह पर्यावरणीय स्वीकृति पर कोई निर्णय नहीं ले रहें हैं।

श्री प्रहलाद ने बताया किः— हमारे गाँव में 25 साल में टी.बी. खत्म हुई हैं। हमारे गाँव के प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति बीमार था। डॉक्टर के पास जाते थे तो वह गाँव का नाम पुछते थें। हम बताते थे गाँव नौहटा। तो डॉक्टर तुरन्त टी.बी. कर जाँच लिख देते थें। माईन्स को बन्द करायें हुए 20 साल हो गये है। ये लोग (परियोजना प्रस्तावक) जो बाते करतें हैं, वो दिखावटी है।, ये कुछ नही करेगें, माईन्स के चलने से हम लोग ग्रामवासी मरेगें।

श्री राम महाराज अघोरी ने बताया कि :— गाँव में वर्श 2005 से पहले जिसका भी जन्म हो रखा हैं। तो गाँव की स्थिति यह हैं कि 90 % लोगों में टी.बी. मिलेगी, यदि जाँच की जाए। मैनें खुद व्यक्तिगत अभियान चला रखा हैं, लडकीयों की भादी कराने का। जब 5 गाँव का नाम आता हैं। तो लोग शादी करने के लिए मना कर देते हैं, कि लड़की तो जल्दी विधवा हो जाएगी, वहा पर ऐसी बीमारी उत्पन्न होती हैं। 5 गाँव की एक ही स्कूल हैं। 5 गाँव के बच्चे पढ़तें हैं। एक ही रास्ता हैं स्कूल जाने का। रास्ते पर अन्य वाहन भी चलेंगें जिससे धूल, उडेंगी व धुल बच्चों के अन्दर जाएगी। ये लोग (परियोजना प्रस्तावक) सभी के तो मास्क लगा नहीं सकतें, जैसे इन्होने बताया हम मास्क लगा देगें। क्या पुरे गाँव को मास्क लगा देगे ? इस माईन्स की वजह से 90 % लोगों में टी.बी. हो रही हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही हैं। हमारा पुरा गाँव उजड जाएगा। ये लोग (परियोजना प्रस्तावक) हमें बीमे का लालच देकर हमें मारना चाहतें है। ये गलत बात हैं।

श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर ने पुन अवगत कराया कि आप लोगों ने जो भी कहा हैं। हमने लिख लिया है जिससे जनसुनवाही की कार्यवाही विवरण में साम्मिल कर SEIAA Rajasthan को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा निर्णय Govt. / SEIAA Rajasthan राजस्थान द्वारा लिया जाएगा।

उक्त जनसुनवाई के दौरान निम्न प्राप्त लिखित आक्षेप/ आपत्ति/सुरक्षा प्राप्त हुए जिनकी प्रति संलग्नक हैं (संलग्नक—य)।

क्र.स.	व्यक्ति संख्या	प्राप्ति दिनांक	विशय
1.	ग्रामवासी, ग्राम पंचायत—नोहटा,	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

	पं0स0 निवाई, जिला–टोंक		पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।
2.	श्रीमति काली देवी प्रशासक, ग्राम–पंचायत नोहटा, पं0स0 निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।
3.	श्री दयाराम जाट, उपप्रधान, पंचायत समिति–निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।
4.	श्री रामराज, अध्यक्ष वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति नोहटा, तहसील–निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।
5.	श्री/श्रीमति मीना चौधरी, अध्यक्ष ग्राम वन सुरक्षा, करीरिया, तहसील–निवाई, जिला–टोंक	17/05/2025	सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।

जनसुनवाई की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला कलक्टर टोंक,
जिला टोंक

PUB-133 संलग्नक-3

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाक:- /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16007 दिनांक 07/04/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

विषय:- Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील निवाई में स्थित ग्रामों में सिलिका सेण्ड खनन किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता है:-

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक/फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 3188 दिनांक 10.03.2025 श्री बालाजी मिनरल्स	करीरिया	पंचायत समिति सभागार, निवाई में दिनांक 17.05.2025 प्रातः 11.00 बजे
2	पत्रांक 3191 दिनांक 10.03.2025 श्री बालाजी मिनरल्स	नोहटा	पंचायत समिति सभागार, निवाई में दिनांक 17.05.2025 प्रातः 11.30 बजे

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाक:- /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16008-15 दिनांक 07/04/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी निवाई।
3. तहसीलदार निवाई को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति निवाई को भेजकर लेख है कि उक्त निर्धारित तिथि व समय पर पंचायत समिति सभागार में आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, वरिष्ठ सहायक न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत.......निवाई.......।

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, प्राप्ति क्रमांक 31, दिनांक 8/4/25, बून्दी (राज.)

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation: Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 07-04-2025

JUDICIAL MOST FILE : ENVIRONMET JANSUNWAI

संलग्नक : ब

मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, एम. एल. नम्बर – 11/2000R (पुराना 1/81), खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि – 2.752 हेक्टेयर + रोड़ 0.10 हेक्टेयर एवं गैर वन भूमि – 2.148 हेक्टेयर) निकट ग्राम करिरियां, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेण्ड माइनिंग परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 499902 TPA (मिनरल– 449912 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट– 49990 TPA) की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 17.05.2025 प्रातः 11:00 AM बजे, स्थान पंचायत समिति सभागार, निवाई, तहसील–निवाई, जिला–टोंक जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी स्थानीय नागरिकगण एवं आमजन का उपस्थिति पत्रकः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ram Ratan Sonkaria	ADM Tonk.	adL
2.	Shiv Kumar	Regional Officer, RSPCB Bundi	[illegible]
3	Sohanlal Suthar	Asst. Mining Engineer Tonk	[illegible]
4.	NIMIT KASLIWAL	Propanent	[illegible]
5.	RAJESH SAINI	Balaji Minerals (Manager)	[illegible]
6.	Suyash Awasthi	Manager - EESPL - Jaipur	[illegible]
7	Bharat Sahu	JEO – EESPL Jaipur	[illegible]
8	कुझा लाल जाट	[illegible] नोहटा	कुझालाल जाट
9	रामस्वरूप जाट	श्री [illegible] नोहटा	रामस्वरू
10	मोती लाल गुर्जर	श्री [illegible] करीरिया	[illegible]
11	मुरारी लाल बैरवा	श्री मुरारी लाल बैरवा	[illegible]
12	किशन गुर्जर	नोहटा	किशन
13	सुरज्ञान जाट	नोहटा [illegible] निवाई	[illegible]
14	श्यामलाल सिंह [illegible]	करीरिया नोहटा [illegible]	[illegible]
15	श्रीराम [illegible]	माँ [illegible] मंदिर	[illegible]
16	[illegible] सिंह [illegible] नोहटा	नोहटा	[illegible]
17	रामराज चौधरी	नोहटा	रामराज
18	[illegible] सिंह	नोहटा	[illegible]
19	[illegible]	नोहटा	[illegible]
20	[illegible] चौधरी	नोहटा	[illegible]
21	किशन गुर्जर	नोहटा	[illegible]
22	बाबू लाल बैरवा	नोहटा	[illegible]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
23	प्रहलाद जाट	ग्राम पंचायत नोहटा	प्रहलाद
24	तेजराम चौधरी	~~ग्राम पोस्ट नोहटा~~	[illegible]
25	लवकुश गुर्जर	नोहटा	लवकुश
26	दिलकुश जाट	नोहटा	दिलकुश
27	कन्हैया सैनी	नोहटा	कन्हैया
28	रणवीर सिंह	नोहटा	रणवीर
29	विजेन्द्र मीणा	नोहटा	विजेन्द्र मीणा
30	मोनू चौधरी	नोहटा	मोनू
31	Ashish Choudhary	Mandi	Ashish
32	[illegible]	JBMK	[illegible]
33	सियाराम चौधरी	नोहटा	[illegible]
34	Kuldeep Choudhary	नोहटा	Kuldeep
35	[illegible]	नोहटा	[illegible]
36	[illegible]	नोहटा	[illegible]
37	[illegible] सिंह	नोहटा	[illegible]
38	[illegible] सिंह	नोहटा	[illegible]
39	[illegible]	नोहटा	[illegible]
40	नरसिंह	नोहटा	नरसिंह
41	धुलाचन्द	नोहटा	धुलाचन्द
42	[illegible]	नोहटा	[illegible]
43	[illegible]	नोहटा	[illegible]
44	राजेन्द्र सिंह	नोहटा	राजेन्द्र सिंह
45	रामचन्द्र	नोहटा	रामचन्द्र
46	हजारीलाल प्रमोद शर्मा	नोहटा	[illegible]
47	महेन्द्र कुमार मीणा	कोटेली	महेन्द्र
48	रघुनाथ [illegible]	नोहटा	रघुनाथ
	~~सांवरमल~~	नोहटा	सांवरमल

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
49.	रामकरण	नोहरा	रामकरण
50.	Pankaj Sattawan	J.EE, RSPCB, Bundi	Pankaj

A-25

JEE (4)
17/5/25

संलग्नक-'प'

कुमारी पर्यावरण जनसुनवाई महो०
प०स०- निवाई ।

सेवामें,

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदया
टोंक ।
M.L.N.-11/2000 व M.L.-14/1998

विषय :— ग्राम नोहटा में श्री बालाजी मिनर्ल्स जयपुर की खदानों लीज अवधि को दुबारा रिन्व्यू नहीं करने बाबत्।

प्रसंग :— सिलिका सेन्ड खनन किये जानेसेपर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक राज.** में स्थिति **श्री बालाजी मिनर्ल्स** की जो खदाने स्थित है जिसके ख.नं. 755/1 किस्म गै. मु. पहाड़ व ख.नं. 756/3 किस्म गै.मु.आबादी के लगवा स्थित है। जो पहाड़ के नीचे आबादी में पुरा गांव बसा हुआ है तथा पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त मिनर्ल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस व टी.बी. जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं तथा पूर्व में भी कहीं व्यक्तियों की अकाल मृत्यू हो चुकी है। उक्त पहाड़ की तलहटी पर अनेक प्रकार के देवी–देवता के मन्दिर बने हुये है जैसे–बालाजी, कंकाली माताजी, उठा–पटक बालाजी, जिन्द बाबा, ग्वाल पगडी, हनुमान मन्दिर, तेजाजी मन्दिर व श्री भजनानन्द गिरीजी व शंकरागिरी जी महाराज के आश्रम स्थित है, उक्त खदानों से पहाड़ के चारों तरफ बने जो सनातन धर्म के मन्दिर व आश्रम को भी खतरा है तथा खनन में बलास्टिंग करते है जिससे मन्दिरों व मकानों में दरारे आ जाती और मन्दिर व मकान गिरने की सम्भवना उत्पन्न हो जाती है।

श्रीमान जी पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था। अगर यह खदानें दुबारा चालू होती है तो मानव जीवन की समस्त जिम्मेदारी खनन विभाग, जिला प्रशासन व राज्य सरकार की होगी तथा ग्रामवासियों को दुबारा आन्दोलन करना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

अतः मानव जीवन की रक्षा हेतु उक्त खदानों को दुबारा रिनव्यू नहीं करें।

दिनांक– 17/05/25

संलग्न–
1. डॉक्टर की रिपोर्ट
2. पूर्व शिकायतों की कॉपी

प्रशासक
ग्राम पंचायत नोहटा

रामराज
सुल्तान
9783084307

समस्तग्रावासी
9983386192 ग्राम नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

छोगामल

Bulhund

हरिओम गुर्जर

नवल सिंह

सांवरमल गुर्जर

राहुल चौधरी

गिरीश शर्मा

तेजराम चौधरी

मोहित सिंह

Brijkhush गर्ग

अंशुल गौरा

Kuldeep choudhary

अभिषेक गुर्जर

करण जाट

प्रकाश चौधरी

Ashish Choudhary

किशन गुर्जर

Ajay Sharma

विकास चौधरी

विनोद सैनी

आशीष चौधरी

श्रीराम चौधरी

मोहित गुर्जर

विनय शर्मा

मोतीलाल

मुरारीलाल बैरवा

JEEC(P) 17/5/25 8

कार्यालय ग्राम पंचायत, नोहटा

पंचायत समिति निवाई (टोंक-राज.)

प्रेषक :

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, नोहटा
पंचायत समिति निवाई (टोंक-राज.)

प्रेषिति : प्रभारी पर्यावरण जनसुनवाई मंडल निवाई। व
श्रीमान् राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मं० टोंक/जयपुर।

पत्रांक

दिनांक 17/05/2025

विषय : -

प्रसंग :- <u>सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा** व **करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक राज.** में स्थिति **श्री बालाजी मिनर्ल्स** की जो खदाने है, उनको चालू करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा तथा उक्त श्री बालाजी मिनर्ल्स खदाने ग्राम नोहटा की आबादी के लगवा स्थित है। उक्त खदानों से पहाड़ व पहाड़ की तलहटी पर स्थित **सात मन्दिरों** को भी हानि होने के पूर्ण सम्भावना है। जिससे सनातन धर्म का मुद्दा होगा। पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उक्त मिनर्ल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस व टी.बी. जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित व ग्राम की घनी आबादी को देखते हुये श्री बालाजी मिनर्ल्स की उक्त खदानों को चालू नहीं करने की कृपा करें तथा पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था।

भवदीय

काली
काली देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत नोहटा
पं०स०निवाई जिला–टोंक

JEE(P)
17/5/25

...याराम जाट
...पप्रधान, पंचायत समिति, निवाई
...ध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी देहात मण्डल, नटवाड़ा

निवास :
ग्राम–करीरिया, तह. निवाई (टोंक–राज.)
मो. 9829246557

क्रमांक : दिनांक 17/05/2025

प्रभारी पर्यावरण जनसुनवाई महो०
प०सं० – निवाई (टोंक)

प्रसंग :– सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा व करीरिया** तहसील निवाई जिला **टोंक** राज. में स्थिति **श्री बालाजी मिनर्ल्स** की जो खदाने है, उनको चालू करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा तथा उक्त श्री बालाजी मिनर्ल्स खदाने ग्राम नोहटा की आबादी के लगवा स्थित है। उक्त खदानों से पहाड़ व पहाड़ की तलहटी पर स्थित **सात मन्दिरों** को भी हानि होने के पूर्ण सम्भावना है। जिससे सनातन धर्म का मुद्दा होगा। पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उक्त मिनर्ल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस, टी.बी. व अस्थमा जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित व ग्राम की घनी आबादी को देखते हुये श्री बालाजी मिनर्ल्स की उक्त खदानों को चालू नहीं करने की कृपा करें तथा पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था।

(उपप्रधान प.स. निवाई)

भवदीय

JEE(P)
17/5/25

प्रभारी ~~जनसुनवाई~~
पर्यावरण जनसुनवाई महो०
प०स० - निवाई टोंक

प्रसंग :– <u>सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक राज.** में **अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थिति पहाड में श्री बालाजी मिनर्ल्स** की जो खदाने है, उनको चालू करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा तथा उक्त श्री बालाजी मिनर्ल्स खदाने ग्राम नोहटा की आबादी के लगवा स्थित है। उक्त खदानों से पहाड़ व पहाड़ की तलहटी पर स्थित **सात मन्दिरों** को भी हानि होने के पूर्ण सम्भावना है। जिससे सनातन धर्म का मुद्‌दा होगा। पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उक्त मिनर्ल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्‌टी) से सिलिकोसिस, टी.बी. व अस्थमा जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित व ग्राम की घनी आबादी को देखते हुये श्री बालाजी मिनर्ल्स की उक्त खदानों को चालू नहीं करने की कृपा करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण नही हो सकें तथा पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था।

दिनांक–17 / 05 / 2025

भवदीय

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति
नोहटा तह० निवाई जिला टोंक राज.

JEE(P)
[signature]
17/5/25

प्रभारी पर्यावरण जनसुनवाई महो०
प० स० निवाई।

प्रसंग :- <u>सिलिका सेन्ड खनन किये जाने से पर्यावरण प्रदूषण होने हेतु आपत्ति।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम **नोहटा व करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक राज. में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थिति पहाड में श्री बालाजी मिनरल्स** की जो खदाने है, उनको चालू करने से पर्यावरण प्रदूषण होगा तथा उक्त श्री बालाजी मिनरल्स खदाने ग्राम नोहटा की आबादी के लगवा स्थित है। उक्त खदानों से पहाड़ व पहाड़ की तलहटी पर स्थित **सात मन्दिरों** को भी हानि होने के पूर्ण सम्भावना है। जिससे सनातन धर्म का मुद्दा होगा। पहाड़ में निवास करने वाले जंगली जानवर जैसे–बघेरा, सियार, बन्दर, लोमडी आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवरों को भी जान–माल की हानि होने की पूर्ण सम्भावना है तथा उक्त मिनरल्स की खदानों से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ–साथ ग्राम नोहटा की घनी आबादी भी उक्त खदानों से निकलने वाली डस्ट(धूल–मिट्टी) से सिलिकोसिस, टी.बी. व अस्थमा जैसे गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होगी जिससे मनुष्य को जान–माल की हानि होने की प्रलभ सम्भावना हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित व ग्राम की घनी आबादी को देखते हुये श्री बालाजी मिनरल्स की उक्त खदानों को चालू नहीं करने की कृपा करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण नही हो सकें तथा पूर्व में भी समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध कर उक्त खदानों को बन्द करवाया गया था।

दिनांक 17/05/2025

भवदीय

मीना चौधरी

करीरिया

ग्राम जोरड़ा में Tuberculosis पीड़ित जिनको Treatment दिया गया।

S.N.	Name रोगी	Father Name	Ag	Year	Category
1	रामप्रसाद S/O हरिनारायण जाट	जोरड़ा	31yr	2000	+ve cat I
2	कजोड़मल S/O मूलचन्द पांचाल	जोरड़ा	25yr	2000	cat II
3	[illegible] S/O [illegible]	[illegible]	65yr	2000	+ve [illegible]
	[illegible] S/O [illegible]	जोरड़ा	20yr	2000	Neg
	सीता देवी W/O रामकिशन [illegible]	जोरड़ा	70yr	2001	Neg
	[illegible]	जोरड़ा	45yr	2001	Neg
5	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	60yr	2001	Neg
	[illegible] देवी W/O [illegible] जाट	" "	35yr	2002	+ve [illegible]
	[illegible] S/O [illegible]	" "	21yr	2002	+ve [illegible]
	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	70yr	2002	Neg
	[illegible] S/O किशनलाल जाट	" "	70yr	2003	+ve [illegible]
9	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	35yr	2003	+ve [illegible]
10	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	16yr	2003	
11	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	28yr	2003	+ve [illegible]
	[illegible] S/O [illegible]	" "	55yr	2004	Neg cat III
12	ओमप्रकाश S/O [illegible]	" "	45yr	2004	+ve [illegible]
13	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	50yr	2004	[illegible]
14	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	40yr	2004	Neg - III
15	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	40yr	2004	+ve cat I
16	[illegible] कुमार S/O [illegible]	" "	40yr	2004	[illegible]
17	[illegible] W/O [illegible]	" "	20yr	2004	[illegible]
18	[illegible] S/O [illegible]	" "	35yr	2005	Neg cat III
19	[illegible] S/O [illegible] जाट	" "	15yr	2005	Neg
	[illegible] W/O रामकिशन जाट	" "	25yr		
20	[illegible] S/O [illegible]	" "			
21	[illegible] S/O [illegible]				
22	[illegible] S/O [illegible]				

(२३) [illegible] s/o [illegible] [illegible] उम्र [illegible]

(२४) [illegible] s/o [illegible] " " [illegible]

(२५) [illegible] s/o [illegible] " " [illegible]

(२६) [illegible] s/o [illegible] " " 42 [illegible]

(२७)

[signature]

4/12/05

प्रभारी

टोंक

विषय : सिलिका खान से ग्राम वासियो को फेफड़ो में फेलती सिलीकोसिस बिमारी प[illegible] रोग स्वास रोग तथा पत्थरीली चट्टानो के ढहने से गांव वासियों को मलबे मे द[illegible]ने से बचाने बाबत।

महोदया,

निवेदन यह है कि ग्राम नोहठा तहसील निवाई, जिला टोंक में स्थित बालाजी माईन्स [illegible] ग्राम के मकानो से 10 मीटर के फासले पर [illegible] ग्राम से पहाड़ी पर सिलिका की खान है जो कि ग्राम के मकानो से 10 मीटर के फासले पर है। इस खान मे विगत कई वर्षो से खनन कार्य चालू है। खानों मे लगी मशीनो से अलग अलग वेरायटी मे छानकर सिलिका पाऊडर तैयार किया जाता है जो हवा मे उड़कर मकानो पर व अन्दर प्रवेश करता है तथा गांव के वातावरण मे छायी रहती है जिससे पुरे गांव का वातावरण दूषित हो रहा है। जिससे ग्राम वासियो को स्वांस लेना भी कठिन हो रहा है। तथा गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यो को कोई न कोई बिमारी से ग्रसित होना पड़ रहा है तथा कई मृत्यु मुख मे जा चुके है लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोइ ध्यान नही दिया कई बार खानमलबे मे ग्रामवासी के दबने से बन्द रही लेकिन लेदेकर पुनः चालू कर दी गई है इस खान की डस्ट से ग्राम वासि[illegible] फेफड़ो की सिलोकोसिस, दमें एवं क्षय रोग पेट दर्द रोग आदि से ग्रसित चल रहे है इसका प्रमाणीकरण मेडीकल मुआयना करवा कर किया जा सकता है पहाड़ी के एक तरफ खनन करने से पहाड़ी कभी भी ढहकर पूरे गांव को चपेट मे लेसकती है। पूरे गांव की आस्था व श्रद्धा के प्रतीक मंदिर काली माता मंदिर [illegible]माता के आस पास खनन मलबा डलवाया जाकर मंदिर को धीरे धीरे दबाया जा रहा है जिससे इनका पुरातत्व महत्व घटता जा रहा है इससे ग्राम वासी काफी आक्रोशित हैं खान के खनन कार्य को बन्द करवाने बाबत कई बार शिकयते ग्राम पंचायत से लेकर जिलाधीश टोंक को भी दी गई है। लेकिन इस खान से सिलिका खनन कार्य एव उड़ान कार्य बंद नही हुआ हैं।

इस खान पर कार्यरत अब तक सिलिका के कारण 15-20 मजदूर अकाल मौत मारे जा चुके है चूंकि अधिकतम मजदूर अशिक्षित होने से सिलिका डस्ट से होने वाली बिमारियो से अनभिज्ञ है तथा असमय इससे बिमारी की चपेट मे आकर मारे जाते है। इसके अलावा ग्रामीण वासी कई बीमारीयो जैसे सिलीकोसिस, दमा, फेफड़ो के अन्य रोग पेट दर्द आदि बिमारियो से ग्रसित रहते है। तथा गरीब होने के कारण ठीक से समय पर ईजाल नही करवाने से बीमार पड़े है तथा कई मर चुके है। इनको तो सिर्फ खान पर मजदूरी करने जाना है क्योंकि [illegible]

खान पर [illegible] के पत्थरों को काटने के लिए ब्लास्टिंग [illegible] रही है जिससे [illegible] कई मकानों [illegible] चुके है तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर व अन्य पक्षी [illegible] चुके है [illegible] गोलियों की तरह [illegible] गिरते है [illegible] कोई कार्यवाही नही हुई

इसके खान के मालिक ने गांव के प्रत्येक परिवार से मजदूर लगा रखा है तथा नेताओं व अधिकारियों को बांधे रखा है। जिससे इस खान के विरूद्ध कोई कार्यवाई आज तक नही हो पाई है। जब की गत वर्ष राजस्थान उच्चन्यायालय द्वारा गावों व रिहायशी ईलाकों के पास चल रहे खनन कार्यो पर रोक लगाने के लिए कानूनी आदेश जारी किये थे इस विषय में प्रमाण के लिए इस सूचना की एक प्रतिलिपी इस पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है। अब देखते है नई सरकार जो स्पष्ट बहुमत में बी.जे.पी. की आई है। हम ग्रामवासी कहाँ तक व कैस इस दूषित पर्यावरण से निजात दिलाती है।

इस खान से सबसे गंभीर समस्या स्वास लेने की है। इस खान से 24 घंटे सिलिका पाऊडर मकान पर खेतों पर प्रदूषित वायू रूप मे वातावरण मे छाया रहता है जिसका प्रेक्टीकल निरीक्षण कर सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि हम ग्रामीणवासियों को स्वस्थ वातावरण में स्वास लेने के जन्म सिद्ध एवं संवेधानिक अधिकार को इस खान को नोहठा में बंद करवाकर दिलवाया जावे तथा इसके ढहने पर ग्रामीण जनो की जान माल एवं मंदिरों को दबने से बचाया जावे।

प्रार्थीगण
ग्रामीणजन
ग्राम नोहठा, तहसील निवाई
जिला टोंक (राज.)

प्रतिलिपि निम्न को तुरन्त आवश्यक कार्यवाई हेतू प्रेषित है :–

1. खानमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर सचिवालय,
2. पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर सचिवालय,
3. वन मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर,
4. जिलाधीश महोदय, जिला टोंक, राजस्थान,
4. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित आदेश की प्रतिलिपी।

सचिव
[illegible] नोहठा
तहसील [illegible] (राज.)

प्रार्थीगण
ग्राम वासी नोहठा

छानपाल

बाबु लाल स्वामी

उप सरपंच

नींव न खोदें

आदिकाल से ही मानव प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ इनका दोहन बहुत तेज हो गया है। मानव का लालच भूमिगत जल को तेजी से सोख रहा है। इसका नतीजा यह है कि राजस्थान के जयपुर जिले के तेरह में से दस ब्लाक डार्क जोन में आ गए है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार पिछले पांच वर्ष में जितना भूजल स्तर गिरा, उतना तो पिछले पचास वर्षों में भी नहीं गिरा था। राजस्थान में अंधाधुंध वनों की कटाई से वन क्षेत्र भी सिकुड़ रहा है। लालची निगाह से पहाड़ और पशु भी नहीं बच पाए है। इसलिए यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सरिस्का जैसे संरक्षित राष्ट्रीय अभयारण्य से बाघ गायब हो रहे है और देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तक को इस मामले में दखल देना पड़ रहा है। इंसानी लालच ने विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली को भी संकट में डाल दिया है। छह सौ बानवे किलोमीटर लंबी अरावली का 550 किलोमीटर का हिस्सा तो सिर्फ राजस्थान में ही है। यह पर्वतमाला राजस्थान के साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसलिए अरावली पर आया खतरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अरावली क्षेत्र में निर्माण और खनन पर रोक लगाने के निर्देश देकर मामले की गंभीरता को रेखांकित भी किया है। रेगिस्तान का विस्तार रोकने में अरावली की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि अरावली पर्वतमाला नष्ट हो गई तो राजस्थान ही नहीं हरियाणा, गुजरात और दिल्ली भी रेगिस्तान के विस्तार से अछूते नहीं रहेंगे। इसलिए अरावली क्षेत्र में निर्माण और खनन को नियंत्रित किया जाना हम सभी के हित में है। मुश्किल यह है कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से खनन को भी प्रशासन रोकने में विफल रहा है।

असल में अवैध खनन में इतनी कमाई है कि प्रशासनिक अमला इन सिक्कों की खनक के कारण बहरा हो जाता है। अवैध खनन हम रोक नहीं पा रहे, वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की ओर से आंख मूंदे है, संरक्षित क्षेत्रों में बाघ जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा हम से हो नहीं रही, भू-जल का स्तर बढ़ाने के बारे में कोई ठोस योजना है नहीं, फिर हम किस मुंह से पर्यावरण संरक्षण की बात कर सकते है? सरकार, समाज और आम आदमी को यह बात अब भी समझ में नहीं आ रही है कि पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ाकर हम खुद अपनी नींव खोद रहे है।

अवैध खनन से ग्रामीणों में रोष

सिरस, 10 जून। ग्राम पंचायत नोहटा में सड़क के समीप स्थित चरागाह भूमि पर ठेकेदार द्वारा जे.सी.बी. मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। ब्लाक युवक कांग्रेस के संगठन मंत्री कुं. दशरथ सिंह (नोहटा) व नेहरू नवयुवक मण्डल सचिव नाथूलाल [illegible] ने विज्ञप्ति में बताया है कि नोहटा ग्राम की सम्पर्क सड़क मार्ग के सहारे स्थित चरागाह भूमि पर अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। सोमवार को ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन की मशीन को रुकवाया, लेकिन ठेकेदार ने बताया कि मुझे खनन के लिए स्वीकृति मिली हुई है। अवैध खनन को लेकर यहां झगड़े की स्थिति बनी हुई है। इस सम्बन्ध में सिंह ने मुख्यमंत्री व जिला कलक्टर रोक को पत्र लिखकर चरागाह भूमि पर अवैध खनन रोकने की मांग की है। (नि.स.)

अधिकारी के निर्देशों के बाद भी अवैध खनन जारी

नरां, निवाई, 18 जून।

ग्राम पंचायत नोहटा में उपखंड अधिकारी मुकुटबिहारी जांगिड़ के अवैध खनन रोकने के निर्देशों के खनन कार्य किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार गत दिनों ग्राम पंचायत नोहटा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि ग्राम नोहटा की चरागाह भूमि में स्थित रोड़ी को अवैध तरीके से खोदकर ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। ज्ञापन में ठेकेदार द्वारा अवैध खनन करने से आने वाले समय में पशुओं के लिए परेशानी हो जाएगी। चरागाह क्षेत्र में अवैध खनन की सरपंच सहित ग्राम पंचायत की पूरी कोरम को जानकारी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंचायत व ठेकेदार की कार्यशैली से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने कई बार अवैध खनन रुकवाने के प्रयास किए, परंतु खनन कार्य कुछ समय के लिए बंद कर फिर शुरू कर दिया जाता है। बाद में उपखंड अधिकारी मुकुटबिहारी जांगिड़ ने 9 जून को ग्राम पंचायत नोहटा के सचिव को मौके पर जाकर खननकर्ता के अनुमति पत्र कि फोटो कापी सहित खनन संबंधी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी के निर्देश के बावजूद अभी तक सचिव द्वारा उपखंड कार्यालय में खनन संबंधी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस कारण नोहटा में अवैध खनन जारी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।

अरावली में खनन पर सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, 29 मार्च (एजेंसी)। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अरावली की पहाड़ियों पर गैर कानूनी ढंग से खनन कार्य पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह गुड़गांव जिले में इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पर अमल के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार कर इसे तीन हफ्ते के भीतर मंजूरी प्रदान करे। न्यायमूर्ति वाई.के. सब्बरवाल और न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी किया। यह नोटिस उस अर्जी पर दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों पर गैर कानूनी ढंग से खनन कार्य चल रहा है। पीठ ने सुनवाई की शुरूआत में ही कह दिया [illegible] (• शेष पृष्ठ 8 पर)

(• शेष पृष्ठ 8 पर)

अदालती रोक भी नहीं रोक पाई अवैध खनन

- ठेकेदारों व वन विभाग की मिलीभगत
- प्रदूषण से अब तक 10 जानें गईं

निवाई, 10 अप्रैल (निसं)।

उपखंड मुख्यालय, बोल्टा, नाहरवाड़ी पहाड़ी, पराना, भरथल, झिलाय आदि दर्जनों गांवों में उच्चतम न्यायालय की रोक के बावजूद खुलेआम खनन कार्य हो रहा है। वन विभाग की लापरवाही के चलते यहां न्यायालय की रोक सिर्फ मजाक बनकर रह गई है, जबकि पहाड़ियों के खनन कार्यों की निगरानी के नाम पर सरकार यहां हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन यही टांक के तीन पाल खनन कार्य आज भी जारी है। रोज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पत्थर भरकर ले जाते देखा जा सकता है।

खान मालिकों व ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उच्चतम न्यायालय की रोक को इन्होंने एक तरफ रख दिया है। ठेकेदारों व वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत का ही नतीजा है कि जहां एक ओर पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है वहीं इस क्षेत्र के बाशिंदों के लिए खनन कार्य मौत का सबब बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पत्थरों की कटाई व विस्फोटों से उड़ने वाली धूल से अब तक करीब 10 जनों की मौत हो चुकी है। पर्वतमालाओं में ब्लास्टिंग करने तथा क्रेशर से उड़ते पत्थरों के पाउडर से आसपास के पेड़-पौधे नष्ट होते जा रहे हैं। वनस्थली रोड पर पलेई के पास तथा टोंक रोड पर पहाड़ी के पास पत्थर पीसने की मशीनें लगी हुई हैं। मशीनों से उड़ने वाली धूल का पेड़-पौधों, मकानों व खेतों पर बुरा असर पड़ रहा है।

अरावली खनन

(शेष पृष्ठ 1 कॉलम 3 का)

अदालत का धैर्य समाप्त हो [illegible] है, क्योंकि गैर कानूनी खनन कार्य रोक [illegible] के बारे में शीर्ष अदालत द्वारा बार-बार आदेश जारी किए जाने के बावजूद [illegible] के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। न्याया[illegible] ने हरियाणा सरकार से कहा कि [illegible] खनन से माल ज़ब्त कर ले जा रहे [illegible] को जब्त कर लिया जाए। न्यायाल[illegible] याद दिलाया कि इससे पहले [illegible] अवैध खनन रोकने के आदेश जारी [illegible] गए है लेकिन राज्य में न्यायालय के [illegible] की परवाह किए बिना अवैध [illegible] बदस्तूर जारी है। सालिसीटर जनरल [illegible] वाहनवटी ने न्यायालय को [illegible] अवैध खनन रोकने के लिए राज्य [illegible] ने एक कार्ययोजना तैयार की है [illegible] बारे में शपथ-पत्र भी दायर [illegible] चुका है।

की जा चुकी है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, ~~xxxxxx~~ जिससे पूर्व में कई बार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर सम्बन्धित विभागों को तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया जा चुका था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस सिलिका खनन पाउडर को डस्ट से कई प्रकार की बीमारियाँ, से ग्राम में अब तक कई अकाल मौते हो चुकी है। कृपया इस असवैधानिक खनन कार्य को तुरन्त प्रभाव से बन्द करवा कर ग्रामवासियों को राहत प्रदान करे,

आपकी अति महति कृपा होगी।

दिनांक :

भवदीय

समस्त ग्रामवासी ग्राम नोहटा,
तहसील निवाई, जिला-टोंक {राज0}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

{1} माननीय प्रधानमन्त्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
{2} माननीय केन्द्रीय वन एवं खनिज एवं पर्यावरण मन्त्री, नई दिल्ली।
{3} माननीय मुख्यमन्त्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
{4} माननीय वन एवं पर्यावरण एवं खनिज मन्त्री, राज. सरकार, जयपुर।
{5} श्रीमान् जिलाधीश महोदय, टोंक {राज0}
{6} श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, मुख्यालय निवाई {टोंक}
{7} श्रीमान् तहसीलदार साहब, निवाई {टोंक}

दिनांक :

भवदीय

रामराय

सोनाराम

कौन करे जतन कि रुके खनन

खानों से उड़ने वाली गर्द से लोगों में टीबी का खतरा, पंचायत ने दिया खान प्रबंधकों को नोटिस, नोहटा की पहाड़ियों में हो रहे खनन के खिलाफ ग्रामीण एकजुट

भास्कर न्यूज • निवाई, 3 दिसंबर। नोहटा में अरावली शृंखला पर चार दशक से जारी खनन इंसानी सांसों पर भारी पड़ने लगा है। खनन मशीनों से उड़ने वाली धूल ने जहां 5 किलोमीटर परिधि को भूमि को बंजर बना दिया है वहीं कइयों को टीबी की बीमारी तोहफे में दी है।

दो साल पूर्व नोहटा निवासी खान श्रमिक रामप्रसाद जाट (24) तथा पांच साल पहले गोपाललाल रैगर (22) टीबी से मौत हो गई थी। नोहटा क्षेत्र के अलावा करीरिया, रहड़, कांटोली, जामड़ोली आदि गांवों में भी टीबी के कई मरीज हैं। इनका उपचार ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय में चल रहा है। आए दिन होने वाली ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े घरों में गिरते रहते हैं। कई बार लोग इनसे चोटिल भी हो चुके हैं। खान मालिकों से शिकायत करने पर एक ही जवाब मिलता है कि अपना सामान उठा कर कहीं और ले जाओ। जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री दशरथ सिंह गौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर, खान मंत्री, वन मंत्री, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को खनन से होने वाली परेशानी से अवगत करा चुका है. लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सरपंच फूला देवी गुर्जर ने कहा कि ग्राम सभा की एक आपात बैठक बुलाकर प्रबंधकों को खनन बंद करने का नोटिस दिया, किंतु खान मालिकों ने इसे मानने से इंकार कर दिया।

निवाई। पत्थर पीसाई से उड़ती गर्द से आसपास के क्षेत्र की जमीन बंजर होती जा रही है।

कदम्ब के पेड़ों को खतरा

पंस सदस्य रामेश्वर जाट ने बताया कि राजस्थान में नोहटा की अरावली शृंखला पर ही कदंब के पेड़ हैं। खनन व सिलिका पाउडर से इन पेड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक माह पूर्व कदंब के तीन पेड़ खनन की भेंट चढ़ गए। गांव के अधिकांश मकानों में ब्लास्टिंग से दरारें पड़ गई हैं।

पट्टे की शर्तों का उल्लंघन

पट्टे शर्त के अनुसार खान गांव से तीन किलोमीटर दूर होनी चाहिए, जबकि यहां पत्थर पीसने की मशीनें 100-150 मीटर की दूरी पर ही हैं। आरक्षित वन क्षेत्र में भी खनन जारी है। पट्टाधारी बालाजी मिनरल्स के बोर्ड पर पट्टे की अवधि 6-11-2003 से 5-11-2003 लिखी हुई जो समझ से परे है। गांव के अस्थमा पीड़ित त्रिलोक सिंह ने बताया कि खान मालिक का पट्टा सिलिका पाउडर बनाने का है।

श्रमिक कानून का उल्लंघन

खान श्रमिक रामसहाय शर्मा ने बताया कि खानों में न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। मजदूरों को 60 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। काम के दौरान किसी श्रमिक के घायल होने पर इलाज भी नहीं कराया जाता। कम उम्र के बच्चे भी खान में मजदूरी कर रहे हैं।

पत्थर के बुरादे से टी.बी. का खतरा

ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय के चिकित्सा अधिकारी डा. बालिस्टर सिंह ने बताया कि खान के आसपास के गांवों के निवासी तथा खान श्रमिकों को टीबी, अस्थमा तथा फेफड़ों में सूजन जैसी बीमारी होने की आशंका रहती है। डा. सिंह ने बताया कि इन गांवों के दर्जनों टीबी के मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

संगठन तथा पर्यावरण प्रेमियों ने किया विरोध

अखिल भारतीय मीणा संघ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट रामभजन मीणा ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार खनन पट्टे देने में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा कि संघ नोहटा में खान बंद कराने के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराएगा।

60 रुपए की खातिर जिंदगी दाव पर

एक महिला श्रमिक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि हाड़ तोड़ मेहनत पर खान मालिक मात्र 60 रुपए मजदूरी ही देता है। उसने बताया कि पत्थर पीसने की मशीन से उड़ने वाली धूल से उन्हें सांस की बीमारी हो गई है।

आमरण अनशन की चेतावनी

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला संयोजक कामरेड कन्हैयालाल सैनी ने खनन नहीं रोके जाने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि खान मालिकों ने 15 दिन में खनन बंद नहीं किया तो वे अनशन पर बैठ जाएंगे।

वन प्रसार अधिकारी अशोक गुप्ता ने कहा कि यदि वन विभाग का कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खान मालिकों के मामले को उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि हरे कदंब के वृक्ष काटना कानूनन अपराध है, किन्तु लीज क्षेत्र में कोई पेड़ आता है तो पट्टाधारक द्वारा उसका शुल्क जमा करवाया जाता है।

अशोक गुप्ता, वन प्रसार अधिकारी

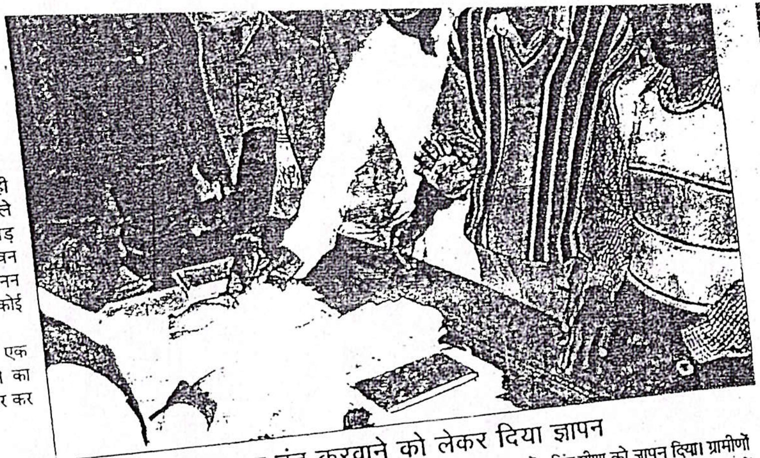

खनन बंद करवाने को लेकर दिया ज्ञापन

निवाई। अरावली शृंखला पर खनन रुकवाने के लिए ग्रामीणों ने तहसीलदार महेंद्र सिंह मीणा को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने नोहटा उप सरपंच राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में रविवार दोपहर को ग्रामीण खुद ही क्रेसर बंद करवा देंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रहलाद सिंह, बाबू लाल स्वामी, छगन सिंह, दशरथ सिंह गौड़, पोखरमल जाट, मदन नाई, रामचन्द्र जाट, सत्यनारायण सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे।

'विकलांगों को योजनाओं से जोड़ें'

समारोहपूर्वक मनाया विकलांग दिवस

टोंक, 3 दिसंबर • काम। ...

चार दिन से संलेखना समाधि

ब्लास्टिंग के पत्थर घरों में बरस रहे हैं

न्यूज सर्विस

टोंक, 28 नवम्बर। जिले की निवाई तहसील के ग्राम नोहटा में चल रहे खनन कार्य से लोगों को खतरा उत्पन्न होने लगा है। यहां अवैध रूप से किये जा रहे ब्लास्ट के कारण लोगों के घरों में पत्थर आने लगे हैं। यहां सिलिका पाउडर उड़ने से लोग टीबी व दमा जैसी बीमारियों के आगोश में जाने लगे हैं। सोमवार को ग्राम नोहटा के दशरथ सिंह, शंकर, प्रहलाद जाट, नाथू, नंद किशोर, बृजलाल चौधरी, शंकर सिंह, कानाराम सहित आये जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को दिये शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम नोहटा में विगत कई वर्षों से बालाजी माईंस के नाम से सिलिका का खनन कार्य बेरोकटोक चालू है। यह खनन कार्य ग्राम नोहटा जो कि आबादी क्षेत्र में है, से मात्र 10 मीटर की दूरी पर चल रहा है। यहां पर पहाड़ी से पाउडर तथा पत्थर का खनन कर सिलिका पाउडर का अलग-अलग वेरायटी में माल छनकर मशीनों से तैयार किया जाता है। जिससे मशीनों से छनकर सिलिका पाउडर दिनभर जो कि सिलिका एक बारीक कांच रेतनुमा है, उड़कर वायुमण्डल में छाये रहते हैं।

दूसरे के धन को छीनना, परई नारी से सम्बन्ध रखना और मित्रों पर सन्देह करना ये तीन दोष मनुष्य ...

... 3.00 बजे तक ... कार्यालय ... वर्जित रखना हितकर है।

1530 से 1540, मक्का 646, जौ 790 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खनन बन्द कराने का प्रस्ताव

निवाई, 30 नवम्बर (निसं)। ग्राम पंचायत नोहट्टा स्थित पहाड़ों पर किए जा रहे खनन को बन्द कराने को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की आपात बैठक बुलाकर सर्व सम्मति से खनन कार्य को बन्द करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

ग्राम पंचायत की बैठक

किसानों ने किया प्रदर्शन

खनिज मंत्री को पत्र

ग्राम पंचायत भवन में सरपंच श्रीमती फूला देवी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक हुई। इसमें जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री दशरथ सिंह गौड़ के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ में हो रहे खनन से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके चलते पहाड़ की चट्टाने तोड़ने के लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग से पत्थर घरों में गिरते है, जिससे कई बार तो बालक, पशु एवं महिलाएं घायल हो चुकी है। इसके अलावा यहां संचालित पत्थर पिसने की मशीनों से सम्पूर्ण गांव का वातावरण दूषित होने के साथ-साथ पत्थर पिसते समय निकलने वाले बुरादे (खक) की परते चारों ओर जमी रहती है तथा कई लोग इससे बीमारी के भी शिकार हो रहे है। इस दौरान उप सरपंच राजेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर चौधरी, वार्ड पंच नाथूलाल सहित अनेक लोगों ने खनन का विरोध करते हुए शीघ्र खनन को रोकने के लिए खनिज मंत्री एवं स्थानीय प्रशासन को भी पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि खनन बन्द करने की कार्रवाई शीघ्र नहीं गई तो ग्रामीण आन्दोलन पर ऊतारू होंगे।

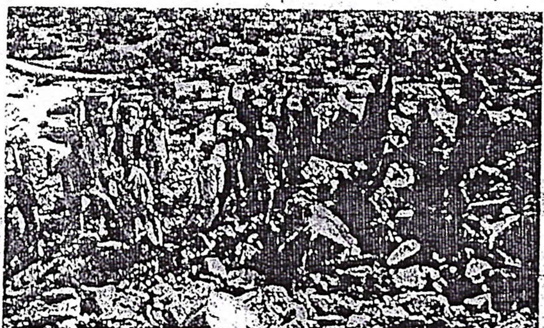

निवाई के ग्राम नोहट्टा में बुधवार को पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण। पत्रिका

पूरी रात्रि

मालपुरा, 30 नवम्बर (नि.सं.)। यहां रामद्वारे में स्वामी विनती राम महाराज की दसवी पुण्य तिथि पर मंगलवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया।

भजन संध्या: भजन संध्या में शास्त्रीय संगीत गायकों ने सम्पूर्ण रात्रि श्रोताओं को बांधे रखा।

8 | दैनिक भास्कर
जयपुर, मंगलवार 29 नवंबर, 2005

आकाशगंगा
आज का सूर्यास्त
शाम: 17 : 33
कल का सूर्योदय
सुबह: 06 : 56

खनन व पत्थर ब्लास्टिंग को रोकने की मांग

टोंक, 28 नवंबर ◆ कासं। गांव नोहटा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के समीप अवैध रूप से किए जा रहे खनन व पत्थर ब्लास्टिंग को रोकने की मांग की है।

नोहटवासी शंकर सिंह, प्रहलाद जाट, श्योजीराम जाट, जिला परिषद सदस्य कानाराम, दशरथ सिंह आदि ने बताया कि गांव के समीप बालाजी माईन्स द्वारा सिलिका का खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दमा, श्वास, टीबी आदि की बीमारियां फैलती जा रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बालाजी माईन्स गांव की पहाड़ी पर वन विभाग की मिलीभगत से सिलिका पाउडर छनाई की मशीन लगाई गई है।

ज्ञापन में बताया गया है कि उसी स्थान पर पांच दिनों से पत्थर ब्लास्टिक भी की जा रही है, जिससे उसके उछले पत्थर आबादी क्षेत्र में आकर गिरते हैं। इस बारे में एसडीएम निवाई को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

पीपलू। एसडीएम भवन की ...

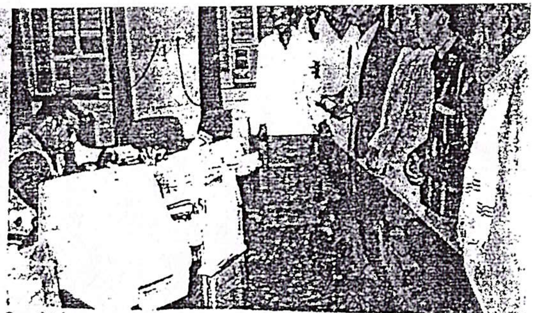

नियाई के ग्राम नोहट्टा में अवैध खनन को लेकर सोमवार को टोंक में जिला कलक्टर को ज्ञापन देते ग्रामीण। पत्रिका

अवैध खनन को लेकर ज्ञापन दिया

टोंक, 28 नवम्बर (निसं.)। आबादी क्षेत्र में पहाड़ पर अवैध खनन करने के खिलाफ निवाई के ग्राम नोहट्टा के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में बताया कि ग्राम नोहट्टा में कई वर्षों से अवैध खनन बेरोक-टोक चालू है। खनन क्षेत्र आबादी से मात्र दस मीटर की दूरी पर है।

पहाड़ पर विस्फोट करने से आबादी क्षेत्र में पत्थर आते रहते हैं। इससे कई लोग पत्थरों की मार से घायल हो चुके हैं। वहीं पत्थरों को काटने से उनका पाउडर वातावरण में घुल जाने से लोगों को दमा व सांस लेने आदि की बिमारियां होने लगी है।

ज्ञापन में अवैध खनन रोकने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिला परिषद सदस्य कानाराम मीणा, दशरथ सिंह, बाबू स्वामी, प्रहलाद चौधरी, पोखर जाट, रामवतार चौधरी व शंकर सिंह आदि शामिल थे।

...वैध रूप से किया जा रहा ...नन कार्य रुकवाया जाए

...उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया

...न्यूज • निवाई, 12 अप्रैल। [illegible] सत्येन्द्र शर्मा को ज्ञापन देकर [illegible] रहे खनन कार्य को रुकवाने की मांग की है।

...में कहा गया है कि 12 दिसम्बर, 02 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक ...बाद भी यहां अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जिससे ग्राम ...को राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने बताया है कि पूर्व में आयोजित ...सभा में भी प्रस्ताव पारित कर ठेकेदार को खनन रोकने आदेश दिए ...उसे निर्धारित सीमा में खनन कार्य के लिए पाबंद किया था। इसके ...ठेकेदार ने कोई दस्तावेज पंचायत में पेश नहीं किए हैं।

खनन कार्य को बंद करने का निर्णय

न्यूज सर्विस

निवाई, 30 नवम्बर। तहसील के ग्राम नोहटा के समीप ब्लास्टिंग पाउडर की क्रेशर मशीनों द्वारा उड़ती सिलिका डस्ट से हो रहे प्रदूषण को लेकर जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री कु. दशरथ सिंह गौड़ के नेतृत्व में एक राय होकर स्थानीय ग्राम पंचायत नोहटा के सरपंच श्रीमती फूला देवी की अध्यक्षता में एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में समस्त ग्रामवासियों की एक राय से ग्राम नोहटा की पहाड़ी में हो रहे खनन कार्य को तुरन्त प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया।

पंचायत की बैठक में ग्रामवासियों ने बताया कि विगत कई वर्षों से इस पहाड़ के ऊपर ब्लास्टिंग की जा रही हैं। जिसकी कई बार शिकायत उपखण्ड व जिला प्रशासन प्रशासन एवं खान मालिक व प्रबन्धकों को की जा चुकी है। बैठक में उप सरपंच राजेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर जाट सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

पाक्षिक बैठक आज

मालपुरा, 30 नवम्बर। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक पदेन सचिवों की प्रथम पाक्षिक बैठक एक दिसम्बर को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति के सभागार में रखी गई है। यह जानकारी विकास अधिकारी धर्मपाल चौधरी ने दी।

ीरालाल

स्य, राजस्थान विधानसभा

धानसभा क्षेत्र, निवाई

उपरला बास, निवाई

(टोंक राज.) 304021

Ph. : 01438 - 222217

Mob. : 9414277667

M-23, बजाज नगर, जयपुर

ांक :- 2138/वि./05

दिनांक :- 10/12/05

श्रीमान जिला कलेक्टर
टोंक

विषय :- ग्राम मोटटा तह. निवाई में सिलिका पाउडर का अवैध खनन बाबत

प्रतिआवश्यक

मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम पंचायत मुख्यालय मोटटा तह. निवाई (टोंक) में सिलिका पाउडर का अवैध खनन नियमों के विपरीत किया जा रहा है। इस बाबत ग्राम वासी आपको भी ज्ञापन दिया है। मुझे भी ज्ञापन दिया है। जिसकी प्रति आपके पास भिजवा रहा हूँ।

इस खनन से ग्रामीणों में क्षय रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। वन विभाग के ... के पेड़ों के भी नष्ट होने की पूरी सम्भावना है। सिलिका पाउडर पूरे क्षेत्र में उड़ने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी नुकसान हो रहा है।

अतः कृपया इस प्रकरण में जांच कर ग्रामीणों को राहत दिलावें। ताकि ग्रामीणों का जीवन बचाया जा सके। इस प्रकरण की कार्यवाही से अवगत कराया जावे।

भवदीय
(हीरालाल)
सदस्य
राजस्थान विधान सभा

संलग्न :- ज्ञापन की छाया प्रति (एक)

प्रा. कलेक्टर
10/12/05

रा.प्र.नि.मं., बून्दी

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक: RPCB/RO Bundi/PUB-133/78 दिनांक: 09/04/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- **मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, एम. एल. नं. – 11/2000R (पुराना 1/81), खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि – 2.752 हेक्टेयर + रोड 0.10 हेक्टेयर एवं गैर वन भूमि – 2.148 हेक्टेयर) ग्राम करिरियां, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेंड माइन्स परियोजना की उत्पादन क्षमता 499902 TPA** (मिनरल – 449912 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट – 49990 TPA) **हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।**

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, एम. एल. नम्बर – 11/2000R (पुराना 1/81), खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि–2.752 हेक्टेयर + रोड 0.10 हेक्टेयर एवं गैर वन भूमि – 2.148 हेक्टेयर) निकट ग्राम करिरियां, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेंड माईनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता 499902 TPA (मिनरल – 449912 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट – 49990 TPA) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि, **मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स**, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बंधित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :
   - i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
   - ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
   - iii. कार्यालय महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला टोंक।
   - iv. पंचायत समिति, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक।
   - v. उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक।
   - vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए –218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
   - vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   - viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प्र. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   - ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी, जिला बूंदी।
   - x. कार्यालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16007 दिनांक 07.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 17.05.2025 (शनिवार) को **स्थान- पंचायत समिति सभागार, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक** में समय **प्रातः 11: 00** बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप /सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप /सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बूंदी जिला बूंदी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं., बून्दी

भा

बाबा साहेब डॉ.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक दीपक विजय ''भारती'' द्वारा उदय प्रिन्टर्स, 43ए, माली कॉलोनी

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE

क्रमांक: RPCB/RO Bundi/PUB-133/78 दिनांक: 09/04/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः- मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, एम. एल. नं. – 11/2000R (पुराना 1/81), खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि – 2.752 हेक्टेयर + रोड 0.10 हेक्टेयर एवं गैर वन भूमि – 2.148 हेक्टेयर) ग्राम करिरियां, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेंड माइन्स परियोजना की उत्पादन क्षमता 499902 TPA (मिनरल – 449912 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट – 49990 TPA) **हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।**

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स, एम. एल. नम्बर – 11/2000R (पुराना 1/81), खनन क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर (परिवर्तित वन भूमि–2.752 हेक्टेयर + रोड 0.10 हेक्टेयर एवं गैर वन भूमि – 2.148 हेक्टेयर) निकट ग्राम करिरियां, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित सिलिका सेंड माईनिंग परियोजना की उत्पादन क्षमता 499902 TPA (मिनरल – 449912 TPA + रिजेक्ट/वेस्ट – 49990 TPA) से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि, **मैसर्स श्री बालाजी मिनरल्स**, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बंधित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :
   - i. कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
   - ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
   - iii. कार्यालय महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला टोंक।
   - iv. पंचायत समिति, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक।
   - v. उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक।
   - vi. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए –218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
   - vii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   - viii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प्र. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   - ix. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी, जिला बूंदी।
   - x. कार्यालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/16007 दिनांक 07.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 17.05.2025 (शनिवार) को **स्थान- पंचायत समिति सभागार, निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक** में समय **प्रातः 11: 00** बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप /सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप /सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बूंदी जिला बूंदी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय

(शिव कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी,

रा.प्र.नि.मं., बून्दी

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR SWASTIK HOMEBUILD PRIVATE LIMITED

OPERATING IN REAL ESTATE PROJECTS AT

REGD ADD: 01B122, OAKWOOD ESTATE, AKASHNEEM MARG, DLF CITY PHASE-II, Gurgaon, GURGAON, Haryana- 122002

Project Site: Khasra No 661, 668, 670-673, Vill Nogava, Halka Tapukara, Teh Tijara, Dist Alwar, Rajasthan

(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.	**Swastik Homebuild Private Limited**
2.	Address of the registered office	**REGD ADD:** 01B122, OAKWOOD ESTATE, AKASHNEEM MARG, DLF CITY PHASE-II, Gurgaon, GURGAON, Haryana- 122002 **PROJECT SITE:** Khasra No 661, 668, 670-673, Vill Nogava, Halka Tapukara, Teh Tijara, Dist Alwar, Rajasthan
3.	URL of website	NA
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Khasra No 661, 668, 670-673, Vill Nogava, Halka Tapukara, Teh Tijara, Dist Alwar, Rajasthan
5.	Installed capacity of main products/ services	NA
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Sale- Rs 335.47 Lac as per latest balance sheet available for FY 2023-24
7.	Number of employees/ workmen	4
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	The Resolution Applicant can get the said information by sending an email to the **cirpswastikhomebuild@gmail.com** **The list of claims is available at:** https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/U45201HR2006PTC036057
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	• Minimum Net Worth: Rs 3 Cr or more being the average of the last three years wherein the latest balance sheet will be 31.03.2024 **and** • Minimum Turnover: Rs 5 Cr (for NBFC- Rs 50 Cr of AUM) or more being the average of the last three years wherein the latest balance sheet will be 31.03.2024 **and** • Other conditions of eligibility as per the EOI process document and same may be demanded by writing mail to **cirpswastikhomebuild@gmail.com**.
10.	Last date for receipt of expression of interest	29.04.2025
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	03.05.2025
12.	Last date for submission of objections to provisional list	08.05.2025
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	12.05.2025
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to	15.05.2025

PUBLIC NOTICE

SOLTOWN INFRA PVT. LTD., having its registered office at 6th floor, R-1, Off. No.-01, Shree S Mohan plaza, Yudhistir Marg, Jaipur, Rajasthan-302001intends to apply to the Government of India to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electrical lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines andposts for the purpose of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained and will undertake the Survey, Construction, Installation, Inspection, Erection & other works to be followed by Commissioning, Operation & Maintenance and other works for the following Transmission scheme.

Transmission Scheme - "Connectivity System of Soltown Infra Pvt. Ltd.for 350 MW Solar Project at Bikaner, Rajasthan"

Scope of work - Connectivity system with 220 kV S/C line bay from Pooling Sub-Station to PGCIL Bikaner-II Sub-Station, (line length approx. 9.1 kms., 8.4 Kms on D/c towers and 0.7 Kms on M/c towers)

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages.

Name of the villages -Bhanipura&Jaimalsar,**Tehsil** Pugal &Kolayat**District**- Bikaner

Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. The general public is hereby informed that within 60 days from the date of publication of this notice, make observations/representations in writing on the proposed transmission system to the office of the undersigned.

Name: - Abhishek Dhaka

Designation: - Project Development Manager

Office Address: - 6th Floor, R-1, Off. No.-1, Shree S Mohan Plaza, Yudhistir Marg, Jaipur, Rajasthan-302001 Phone No.: -+919571724543

POSSESSION NOTICE

Whereas, the authorized officer of **Jana Small Finance Bank Limited** under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued **demand notices** to the borrower(s)/ Co-borrowers(s) calling upon the borrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within **60 days** from the date of receipt of the said notices, along with future interest as applicable incidental expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and/or realisation.

Sr. No.	Loan No.	Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor	13(2) Notice Date/ Outstanding Due (in Rs.) as on	Date/ Time & Type of Possession
1	45890430000207	1. Mr. Bijendra Singh Sharma, S/o Mr. Madan (Applicant) 2.Mrs. Kamla, W/o Mr. Madan (Co-Applicant)	09.01.2025 Rs.5,37,221/- (Rupees Five Lakh Thirty Seven Thousand Two Hundred Twenty One Only) as on 07.01.2025	Date 11.04.2025/ 11:00 A.M. Symbolic Possession
	Schedule-II (Details of Secured Assets) - Mortgaged Immovable Property Schedule Property:- All that Piece and Parcel of the Immovable Property Aabadi Bhumi Patta No.101, Book No.02, Garm Khakhawali, Gram Panchayat Khakhawali, Panchayat Samite Nagar Tehsil Nagar, District Nagar, Rajasthan. Admeasuring 194.44 Sq.Yrd. Owned by **Bijendra, S/o Madan. Bounded as:- East:** House of Bablu and Aam Rasta, **West:** House of Mahendra, **North:** House of Mahesh, **South:** House of Babu.			
2	45919610001797 & 45919610001617	1. Mr. Gunesha Ram S/o Mr Teja Ram (Applicant) 2. Mrs. Moharo Devi S/o Mr. Gunesha Ram (Co-Applicant)	18.10.2024 Rs.8,25,232/- (Rupees Eight Lakh Twenty Five Thousand Two Hundred Thirty Two Only) as on 16-10-2024	Date 11.04.2025/ 05:02 P.M. Symbolic Possession
	Schedule-II (Details Of Secured Assets) - Mortgaged Immovable Property Schedule Property:- All that Piece and Parcel of the Immovable Property Agriculture Land Plot No.50, Khasra No.904/4, Shree Vinayak Nagar IV Yojna, Gram Jhalamand, Tehsil and District Jodhpur, Rajasthan-342005. Admeasuring 88.88 Sq.Yrd. Owned by **Mrs. Moharo Devi, W/o Gunesha Ram. Bounded as:- East:** Plot No.51, **West:** Plot No.49, **North:** Plot No.59, **South:** Road 30 Feet.			
3	30799630000248	1. Mr. Nemichand, S/o Mr. Indra Ram (Applicant) 2. Mrs. Anita, W/o Mr. Nemichand (Co-Applicant)	06.12.2024 9,62,600/- (Rupees Nine Lakh Sixty Two Thousand Six Hundred Only) as on 04.12.2024	Date 11.04.2025/ 03:36 P.M. Symbolic Possession
	Schedule-II (Details of Secured Assets) - Mortgaged Immovable Property Schedule Property:- All that Piece and Parcel of the Immovable Property Patta No.11, Misal No.57/2022-23, Book No.109, situated at Khsra No.344, Gram Olvi, Gram Panchayat Olvi, Panchayat Samite Bilara, Tehsil Bilara, District Jodhpur, Rajasthan-342602. Admeasuring 152.85 Sq.Yrd. Owned by **Mr. Nemichand, S/o Indra Ram. Bounded as:- East:** Own Land, **West:** Common Way, **North:** House Of Duda Ram Mali, **South:** Way of Sons of Shiv Ram Mali and House of Arjun Ram/ Ghasiram.			
4	45899430001888 & 45899410000688	1. Mr. Pradhan Yadav S/o Ram Niwas Yadav (Applicant), 2. Mr. Ram Niwas Yadav, S/o Mr. Chiranji Lal Yadav (Co-Applicant), 3. Mrs. Kaushalya W/o Mr. Pradhan Yadav (Co-Applicant)	07.12.2024 Rs.13,50,258/- (Rupees Thirteen Lakh Fifty Thousand Two Hundred Fifty Eight Only) as on 04.12.2024	Date 11.04.2025/ 01:06 P.M. Symbolic Possession
	SCHEDULE-II (DETAILS OF SECURED ASSETS) - MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY - Schedule Property:- All that Piece and Parcel of the Immovable Property Residential Purpose Property situated at Patwar Halka Khasra No.3348/0.25, Jamabandi Samvat 2073 - 2076, Jamabandi Varsh 2075 (2019), Khata Sankhya New 130 and Old Khata Sankhya 122, Village Ahirbaas, Tehsil Malakhera, District Alwar, Rajasthan. Admeasuring 378.63 Sq.Yrd. Owned by **Mrs. Kaushalya, W/o Pradhan Yadav. Bounded as:- East:** Self Empty Land, **West:** House and Empty Land of Ratan, **North:** Rasta, **South:** Empty Plot of Ramswaroop Yadav.			
5	45899430002865	1. Mrs. Sunita, S/o Virendra Singh (Applicant), 2. Mr. Virendra Singh, S/o Mr. Ramala Singh (Co-Applicant)	06.12.2024 Rs.6,28,189/- (Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand One Hundred Eighty Nine Only) as on 05.12.2024	Date 11.04.2025/ 02:00 P.M. Symbolic Possession
	SCHEDULE - II (DETAILS OF SECURED ASSETS) - MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY - Schedule Property:- All that Piece and Parcel of the Immovable Property Patta No.69, Book No.119, Gram Semla Khurd, Gram Panchayat Gahankar, Panchayat Samite Nagar, Tehsil Nagar, District Bharatpur,			